रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/ फाल्गुन 24, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 412

No. 100] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938 [N.C.T.D. No. 412

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

xg ¼ifyl&II½ foHkkx

'kq)&i=

दिल्ली, 14 मार्च, 2017

l- Qk- 11@35@2010@xg i-&II@2274—दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2015 के हिन्दी संस्करण जो गृह (पुलिस–2) विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिसूचना फा. सं. 11/35/2010/गृह.पु.–2/9544–57 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के द्वारा दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया गया था जिसमें निम्नलिखित शुद्धिकरण हैं:–

धारा 2 ग में यह पढ़ा जाए :–

जिला विधिक सेवा अधिकरण का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिला के लिए विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा अधिकरण (डीएलएसए) से है;

धारा 2 ज में यह पढ़ा जाए:–

दंड संहिता का अर्थ भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) से है।

जबकि 2 ज को 2 झ, 2झ को 2ञ तथा 2 ञ को 2ट पढ़ा जाए।

धारा 3 2 ग में यह पढ़ा जाए :–

स्कीम के खंड 14 के अधीन अपराधकर्ता आरोपी से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि।

धारा 3 2 घ में यह पढ़ा जाए :–

फार्म "II" के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा लौटाई गई, क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई है।

धारा 5 में यह पढ़ा जाए :–

jkT; o ftyk fof/k lsok vf/kdj.k dk vkosnu djus dh izfØ;k – पीड़ित या उसका आश्रित या स्थानीय एसएचओ अंतरिम/अन्तिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आवेदन दे सकता है और इसे (एफआईआर), चिकित्सा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि

उपलब्ध, निर्णय/न्यायालय की सिफारिश, यदि मुकदमा समाप्त हो चुका है, के साथ फार्म–'I' में राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण को प्रदान करेगा।

धारा 10 1 एवं 2 में यह पढ़ा जाए :–

{kfrifr inku dju dh ifØ;k & (1) जहां भी न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण को संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) तथा या (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने संस्तुति की है या संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा आवेदन किया गया है तो वह मामले की जांच करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप हानि/चोट तथा पुनर्वास संबंधी दावे के पहलुओं की जांच करेगा तथा संबंधित व्यक्तियों से दावे पर विचार के लिए अन्य प्रासंगिक आवश्यक जानकारी मांग सकता है।

प्रावधान है कि अत्यधिक परेशानी तथा गंभीरता के अपवाद मामलों में तथा तेजाब के हमले के सभी मामलों में अपराध किए जाने के पश्चात् किसी भी समय डीएसएलए का विशेष ड्यूटी अधिकारी/सदस्य सचिव या सचिव डीएलएसए स्वतः या पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर तथ्यों की प्राथमिक जांच करवाने के पश्चात् प्रत्येक मामले में परिस्थितियों में यथापेक्षित राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर सकता है (अंतरिम आर्थिक मुआवजे सहित)।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निश्चित की गई जांच को पूर्णतया तत्परता से और किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या सिफारिश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा और यह अवधि किसी भी मामले में 60 दिनों से अधिक न हो।

उपबंध है कि तेजाब हमले के मामलों में पीड़ित को डीएसएलएसए/डीएलएसए को मामले की सूचना दिए जाने पर पीड़ित को 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी प्रथम भुगतान के पश्चात् पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

आगे उपबंध है कि पीड़ित को इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार्य अधिक राशि भी प्रदान की जा सकती है।

धारा 13 में यह पढ़ा जाए :–

ihfM+r dk vUrfje jkgr %&दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर या स्वतः किसी ऐसे अधिकारी जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के पद से कम न हो या संबधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण के आधार पर पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या निःशुक्ल इलाज की व्यवस्था करवाने के लिए या अन्य कोई अंतरिम राहत (अंतरिम आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित) प्रदान करने के लिए आदेश दे सकता है।

उपबंध है कि प्रदान की गई अनुदान अंतरिम राहत किसी भी मामले में 50,000/रू. से अधिक नहीं होगा। इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जो अत्यधिक कठिनाई या अपराध की गंभीरता के मामले हों और जहां कारणों को अभिलेखबद्व करने के पश्चात आदेश दिए गए हैं।

आगे यह भी उपबंध है कि तेजाब हमले के मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण की सूचना का मामला आने के 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

फार्म 2 शपथ पत्र में सुपुत्र, सुपुत्री के बाद पत्नी भी पढ़ा जाए।

दिनांक 23.12.2016 की दिल्ली राजपत्र अधिसूचना के दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2015, के हिन्दी रूपान्तरण की शेष विषयवस्तु यथावत् रहेंगी।

ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 14th March, 2017

No. F-11/35/2010/HP-II/2274.—Hindi Version of Delhi Victim Compensation Scheme, 2015, which was published in Delhi Gazette vide Home (Police-II) Department, GNCT of Delhi notification No. F.11/35/2010/HP-II/9544-57 dated 23.12.2016. The following corrigendum has been made in Hindi version of Delhi Victim Compensation Scheme, 2015, which are as under :—

Clause 2 (C) may be read as under :—

जिला विधिक सेवा अधिकरण का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिला के लिए विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा अधिकरण (डीएलएसए) से है;

Clause 2 (H) may be read as under :—

दंड संहिता का अर्थ भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) से है।

Clause 2 (H) may be read as 2(I) while Clause 2(I) may be read as 2(J) and Clause 2(J) may be read as 2(K).

Clause 3(2) (C) may be read as under :—

स्कीम के खंड 14 के अधीन अपराधकर्ता आरोपी से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि।

Clause 3(2) (D) may be read as under :—

फार्म "II" के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा लौटाई गई, क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई है।

Clause 5 may be read as under :—

jkT; o ftyk fof/k lsok vf/kdj.k dk vkosnu djus dh izfØ;k – पीड़ित या उसका आश्रित या स्थानीय एसएचओ अंतरिम/अन्तिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आवेदन दे सकता है और इसे (एफआईआर), चिकित्सा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध, निर्णय/न्यायालय की सिफारिश, यदि मुकदमा समाप्त हो चुका है, के साथ फार्म–'I' में राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण को प्रदान करेगा।

Clause 10(1) and (2) may be read as under :—

{kfrifr izkIr djus dh izfØ;k & (1) जहां भी न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण को संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) तथा या (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने संस्तुति की है या संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन किसी पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा आवेदन किया गया है तो वह मामले की जांच करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप हानि/चोट तथा पुनर्वास संबंधी दावे के पहलुओं की जांच करेगा तथा संबंधित व्यक्तियों से दावे पर विचार के लिए अन्य प्रासंगिक आवश्यक जानकारी मांग सकता है।

प्रावधान है कि अत्यधिक परेशानी तथा गंभीरता के अपवाद मामलों में तथा तेजाब के हमले के सभी मामलों में अपराध किए जाने के पश्चात् किसी भी समय डीएसएलए का विशेष ड्यूटी अधिकारी/सदस्य सचिव या सचिव डीएलएसए स्वतः या पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर तथ्यों की प्राथमिक जांच करवाने के पश्चात् प्रत्येक मामले में परिस्थितियों में यथापेक्षित राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर सकता है (अंतरिम आर्थिक मुआवजे सहित)।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निश्चित की गई जांच को पूर्णतया तत्परता से और किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या सिफारिश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा और यह अवधि किसी भी मामले में 60 दिनों से अधिक न हो।

उपबंध है कि तेजाब हमले के मामलों में पीड़ित को डीएसएलएसए/डीएलएसए को मामले की सूचना दिए जाने पर पीड़ित को 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी प्रथम भुगतान के पश्चात् पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

आगे उपबंध है कि पीड़ित को इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार्य अधिक राशि भी प्रदान की जा सकती है।

Clause 13 may be read as under :-

ihfM+r dk vUrfje jkgr %&दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर या स्वतः किसी ऐसे अधिकारी जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के पद से कम न हो या संबधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण के आधार पर पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या निःशुक्ल इलाज की व्यवस्था करवाने के लिए या अन्य कोई अंतरिम राहत(अंतरिम आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित) प्रदान करने के लिए आदेश दे सकता है।

उपबंध है कि प्रदान की गई अनुदान अंतरिम राहत किसी भी मामले में 50,000/रू0 से अधिक नहीं होगा। इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं है जो अत्यधिक कठिनाई या अपराध की गंभीरता के मामले हों और जहां कारणों को अभिलेखबद्व करने के पश्चात आदेश दिए गए हैं।

आगे यह भी उपबंध है कि तेजाब हमले के मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण की सूचना का मामला आने के 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

In Form II undertaking W/o may be read after S/o, D/o.

The other contents of Hindi version of Delhi Victim Compensation Scheme, 2015 dated 23.12.2016 published in Delhi Gazette shall remain unchanged.

O. P. MISHRA, Addl. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.15 19:41:04 +05'30'